तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **दीवानी वाद सख्या 181/2026** **सीआईएस संख्या 181/2026** **हिमांशु टांक बनाम बुद्वालाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.06.26	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2, 4 व 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। और बहस नहीं करना चाहा। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2, 4 व 5 की ओर से निवेदन किया गया कि वादी द्वारा वाद में दस्तावेजो जिनको शून्य घोषित करवाने आया है, के सम्बंध में मालियत दर्शित नहीं करके पूर्ण मूल्यांकन पर दावा पेश नहीं किया गया है, वरन् वादी द्वारा घोषणा हेतु 400 रूपये व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 400 रूपये कुल 800 रूपये पर दावा पेश किया गया है, जबकि इस न्यायालय को 5 लाख रूपये के अधिक के दावो की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादी द्वारा विक्रय पत्रों की मालियत पर न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है, ना ही वादी के वादपत्र के अवलोकन से प्रतिवादी सं. 4 व 5 के विरूद्ध वादकारण उत्पन्न होना दर्शित है तथा वादी द्वारा बंटवारे का अनुतोष नहीं मांगा गया है। अतः वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों से बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये– **1. Mahendra Singh vs Bhagwati Devi** **2017 (1) CJ (Civ.) (Raj.) 20** **2. Rajendra Tiwary vs Basudevo Prasad & Anr.** **2002 (1) Civil Court Cases 690 (SC)** **3. Suhrid Singh @ Sardool Singh vs Randhir Singh & Ors,** **(2010) 89 AIC 215** जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता वादीया द्वारा उक्त तर्कों का विरोध कर निवेदन किया गया कि उसके द्वारा सम्पत्ति की कीमत दर्शित करने बाबत अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है तथा वर्तमान में सम्पत्ति की कीमत बाबत संशोधन भी किया जा चुका है तथा चूंकि वादीया विवादित दस्तावेजों में पक्षकार नहीं थी, अतः उसके द्वारा विधिवत् न्यायशुल्क पेश किया गया है। जहां तक वादकारण का प्रश्न है, वादीया द्वारा वादपत्र में स्पष्ट रूप से वाद हेतुक का उल्लेख किया गया है तथा सम्पत्ति मौखिक बंटवारे में प्राप्त होना बताया गया है, जिस पर वादीया वर्तमान में काबिज है। केवल मात्र प्रकरण में देरी करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली व संबंधित विधिक प्रावधान का अवलोकन किया गया एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। जहां तक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रश्न है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **P.V. Guru Raj Reddy vs P. Neeradha Reddy & Ors. (2015) 8 SCC**	

	331 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निस्तारण करते समय न्यायालय को केवलमात्र वादपत्र के अभिवचनों को देखना होता है तथा प्रतिवादी की प्रतिरक्षा तथा बचाव को ध्यान में नहीं रखा जाना होता है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादपत्र का मूल्यांकन सही दर्शित नहीं करने, कमी न्यायशुल्क पर दावा पेश करने, वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने व बंटवारे का अनुतोष नहीं चाहने के सम्बंध में उज्र उठाये गये है। जिस पर सर्वप्रथम न्यायालय वाद मूल्यांकन की आपत्ति का निस्तारण करना आवश्यक पाता है। जिसके परिप्रेक्ष्य में ही न्यायशुल्क की आपत्ति का निस्तारण किया जा सकता है। वादपत्र के अवलोकन से दर्शित है कि वादी द्वारा वादपत्र पेश कर विक्रय पत्रों को शून्य घोषित करवाये जाने बाबत अनुतोष चाहा गया है, लेकिन वादपत्र के पैरा सं. 18 में वाद का मूल्यांकन न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं न्यायशुल्क अदायगी हेतु 400 रूपये पर आंका जाना तथा विक्रय पत्र में वादी को पक्षकार नहीं होने के आधार पर 400 रूपये नियमानुसार शुल्क अदा करना वर्णित किया गया है। इस सम्बंध में जहां तक विधिक प्रावधान का प्रश्न है, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वाद मूल्यांकन के सम्बंध में यह प्रावधान किया गया है कि – **वादपत्र का नामंजूर किया जाना–** वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा– (क) ..... **(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,** (ग)... (घ).... (ड).... (च).... **परन्तु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।** उक्त विधिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में वादपत्र के अभिवचनों से दर्शित है कि वादी द्वारा अनुतोष के पैरा में विक्रय पत्रों को शून्य घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, लेकिन वाद का मूल्यांकन केवल 400 रूपये में किया जाना दर्शित है जो कि स्पष्टतः विक्रय पत्रों के प्रकाश में वाद मूल्यांकन किया जाना दर्शित नहीं है तथा जैसा कि आदेश 7 नियम 11 के परन्तुक में वर्णित किया गया है कि वाद मूल्यांकन में कमी के आधार पर	

वाद खारिज नहीं किया जा सकता, वरन् मूल्यांकन की शुद्धि के लिए समय दिया जा सकता है तथा जो पश्चातवर्ती अनुतोष कमी न्यायशुल्क व अन्य प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये है, उनके सम्बंध में न्यायालय इस स्तर पर कोई भी विवेचन करना वर्तमान में न्यायोचित नहीं पाता है, वरन् वाद मूल्यांकन की शुद्धि करने के पश्चात शेष उज्रों के लिए बहस सुनी जाकर निस्तारण किया जावेगा। आदेश सुनाया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद मूल्यांकन में शुद्धि करने हेतु समय चाहा। पत्रावली आदेश की पालना हेतु दिनांक 25.06.26 को पेश हो।

(नीरज गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम–3, अजमेर

IMRAN

Digitally signed by IMRAN
Date: 2026.06.23 13:17:05 +0530